

दिनांक 23-6-16

સાં 50 / નો અંક વિ

यह अनुमति केवल उस प्रान्त योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु इसका अर्थ यह न समझा जाना चाहिए कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर मकान बने इस किसी प्रकार या किसी स्थानीय निवासी या स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मित्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

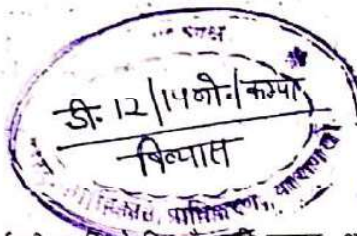
निम्नलिखित प्रतिबन्धों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्रीमती/श्री श्री. नितिन मलहोत्रा व

श्री-जयन्त मलवीया पुस्तकालय दुबई संघ, सं. १८७, १९०, १९१, २०५, १९१॥

पिता/पति का नाम श्री आरजि संख्या 19/2, 10, 62 मौजा शिवदासपुर
19/1, 19/16, 18/6, 18/11, 18/12
वार्ड-शाखमोह में नक़्शे में दर्शित स्थान पर जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये हैं, उपाध्यक्ष के चिन्हित भवन
 चित्र अनुसार निर्माण अथवा पुनः निर्माण किया जाय।

गुहर

दिनांक _____ 20____



मगर अभियन्ता (भजन)
विकास प्राधिका उपध्यक्ष वाराणसी ।
वाराणसी विकास प्राधिकरण
वाराणसी

नोट : 1- यह स्वाकृति पत्र केवल 5 वर्ष की अवधि के लिए है। यदि इमारत आज्ञानुकूल नहीं बनी तो उपाध्यक्ष द्वारा उसे गिरवाया जा सकता है अथवा ऐसे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जो कि समुचित समझा जावे। इसका पूर्ण व्यय का भार प्रार्थी पर होगा। यदि कोई इमारत बिना उपाध्यक्ष की अनुमति प्राप्त किये निर्माणित अथवा पुनः निर्माणित होगा तो उसके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जायेगा अथवा इस प्रकार के अवज्ञामय इमारत को उपाध्यक्ष द्वारा हटवा दिया जायेगा और उसके हटाने के खर्च का भार उस इमारत बनाने वाले से वसूल किया जायेगा।

2— इस अनुमति पत्र में सड़क, गली या नाली पर बड़ाकर प्रोजेक्शन जैसे कि पोर्टिको, बारजा, तोड़ा, सीढ़ी, झाँप नये अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर से नये निर्माण की स्वीकृति चाहे उसके साथ नक्शों में दिखाई भी हो, नहीं प्रदान की जायेगी। इन निर्माणों के लिए प्राधिकरण अधिनियम की धारा 293 के अनुसार अनुमति प्राप्त करना होगा।

3- मकान निर्माण से यदि नाली, सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा चूल्हे के आकार के कारण ढक ली गई हो) को हानि पहुँचे तो यह गृह स्वामी को गृह तैयार हो जाने पर..... दिन के भीतर अथवा यदि प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा शीघ्र कहा हो तो पहिले उसे अपने खर्चे से मरम्मत कराकर पर्वत अवस्था में जिससे प्राधिकरण को सन्तोष हो जावे, में कर देना होगा।

4- गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1973 (अधिनियम इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के नियम 1970) का उल्लंघन किसी दशा में न होना चाहिए। यदि उपाध्यक्ष की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह निर्माण को रोक अथवा हटा सकता है।

5- प्रार्थी को नियमानुसार उपाध्यक्ष को मकान के पूर्ण हो जाने की सूचना मकान समय के भीतर पूर्ण होने के पश्चात् 15 दिन के अन्दर देना होगा यदि सूचना दी गई तो यह समझा जायगा कि मकान पूर्ण हो गया।

६- यह अनुमति यदि किसी कारणवश नजूल, प्राधिकरण अथवा जमीनदारी उन्मूलन के भूमि पर निर्माण हेतु दे दी गई हो तो वैध न मानी जायगी और प्राधिकरण को अधिकार होगा कि ऐसे भूमि पर निर्मित भवन आदि हटा दे जिसका कोई हर्जाना प्राधिकरण द्वारा देय न होगा। इसलिए भूमि स्वामी अपनी भूमि के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करके तभी निर्माण कार्य प्रारम्भ करें।

7- यदि अविकसित क्षेत्र के हेतु किसी प्रकार अनुमति दे दी गई तो वह भी वैध अनुमति पत्र नहीं माना जायेगा तथा ऐसे निर्माण कार्य को विध्वंश कर दिया जायेगा जिसका कोई हर्जाना नहीं दिया जायेगा।

शर्तें

- 1:- पक्षगण को स्थल पर 46 पैड़ें लगाना होगा
- 2:- पक्षगण को सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम लगाना होगा तथा निर्माण सामग्री व मजदूरी अपने स्थल पर ही रखनी होगी।
- 3:- पक्षगण को अपने शिपचे-पत्र दिनांक:- 10/6/16 के अनुसार सैस शुल्कें अम बिसाज में जमा करना होगा, तथा उसकी सूचना अम रसीद की द्वाया कापी प्राधिकरण में प्रस्तुत करना होगा।
- 4:- भवन सुकम्परोदाई हो होगा ही होगा अन्यथा शिपचे-कर्ता गण को पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
- 5:- सविषय में स्वामित्व सम्बन्धी कोई बिबादे उत्पन्न होजे पर पक्षगण को मान्यता स्वतः निरस्त माना जायेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी पक्षगण की होगी।
- 6:- निर्माण उपरान्त पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 7:- सविषय में यदि कोई देयता बिसाज द्वारा निकलती है, तो पक्षगण द्वारा देय होगा।

MLK
विनयास को
23/6/16

23/6/16

Rep
23/6/16
AE

h

MAHAVIR HEIGHTS

Sub: Clarification on approval of Sanction Letter and Map in the name of Mr. Nitin Malhotra and Mr. Jayant Malhotra.

The Land title is with Mr. Nitin Malhotra and Mr. Jayant Malhotra. They have formed AOP **Mahavir Heights** for the purpose of Development of the said Land. As per the local laws the maps are approved in the name of Land owners and in this case the map has been approved in the name of Mr. Nitin Malhotra and Mr. Jayant Malhotra being the land owners.